



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1213]

नई दिल्ली, मंगलबार, जून 15, 2010/ज्येष्ठ 25, 1932

No. 1213]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 15, 2010/JYAISTHA 25, 1932

सङ्केत परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2010

का.आ. 1437(अ).—केन्द्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 109 की उप-धारा (3) और धारा 110 की उप-धारा (1) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित सारणी में यथाविनिर्दिष्ट मोटर यानों के विनिर्माण में प्रयुक्त विभिन्न पुजारी, संघटकों और संयोजनों के लिए ऑटोमोटिव उद्योग मानक अधिसूचित करती है :—

सारणी

क्रम सं.	एआईएस सं.	विषय
(1)	(2)	(3)
1.	एआईएस 004 (भाग 1) : 1999, संशोधन सं. 1 (2003), संशोधन सं. 2 (2008)	ऑटोमोटिव यान से विद्युतचुम्बकीय विकिरण के लिए अनुज्ञेय स्तर और परीक्षणों की पद्धतियां।
2.	एआईएस 004 (भाग 3) : 2009	विद्युतचुम्बकीय संगतता के लिए अपेक्षाएं।
3.	एआईएस 011 : 2001 संशोधन सं. 1 (2004)	यानों के एम। प्रवर्ग से भिन्न चार पहिया यानों के लिए विंडस्क्रीन वाईपिंग प्रणाली हेतु परीक्षण प्रक्रिया।
4.	एआईएस 063 : 2005	स्कूल बसों के लिए अपेक्षाएं।
5.	एआईएस 071 (भाग 1) : 2009	कंट्रोल टैल-टेल्स और सूचकों की पहचान।
6.	एआईएस 071 (भाग 2) : 2009	नियंत्रण अवस्थिति और प्रचालन के लिए अपेक्षाएं।
7.	एआईएस 075 : 2006	चार पहिया यानों के अप्राधिकृत उपयोग के विरुद्ध संरक्षण।
8.	एआईएस 076 : 2007	एम 1 और एन 1 प्रवर्गों के यानों के लिए यान अलार्म प्रणाली (वीएस) का अनुमोदन।
9.	एआईएस 089 : 2005	भारी और लंबे यानों के लिए रियर मार्किंग प्लेटें।

(1)	(2)	(3)
10.	एआईएस 095 : 2007	ऑटोमोटिव यानों के धात्तिक ईंधन टैंकों के लिए अपेक्षाएं।
11.	एआईएस 104 : 2008	कृषि टैक्टरों के लिए ईंधन टैंकों की तकनीकी अपेक्षाएं।

टिप्पणी : ऑटोमोटिव उद्योग मानकों (एआईएस) के विवरण ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआईएस), पुणे की वेबसाइट अर्थात् www.araiindia.com के साथ-साथ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात् www.morth.nic.in पर उपलब्ध है।

[फा. सं. आरटी-11028/9/2008-एमवीएल]

सरोज कुमार दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 2010

S.O. 1437(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 109 and clause (k) of sub-section (i) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby notifies the Automotive Industry Standards for various parts, components and assemblies used in the manufacture of motor vehicles as specified in the following table, namely :—

TABLE

S. No.	AIS No.	Subject
(1)	(2)	(3)
1.	AIS 004 (Part I) : 1999, Amendment No. 1 (2003), Amendment No. 2 (2008)	Permissible levels and methods of tests for electromagnetic radiation from automotive vehicle.
2.	AIS 004 (Part 3) : 2009	Requirements for electromagnetic compatibility.
3.	AIS 011: 2001 Amendment No. 1 (2004)	Testing procedure for windscreen wiping system for four wheelers other than M 1 category of vehicles.
4.	AIS 063 : 2005	Requirements for school buses.
5.	AIS 071 : (Part 1) 2009	Identification of controls tell-tales and indicators.
6.	AIS 071 (Part 2) : 2009	Requirements for control location and operation.
7.	AIS 075 : 2006	Protection against unauthorised use of four wheelers .
8.	AIS 076 : 2007	Approval of Vehicle Alarm System (VAS) for M1 and N 1 categories of vehicles.
9.	AIS 089 : 2005	Rear marking plates for heavy and long vehicles.
10.	AIS 095 : 2007	Requirements for metallic fuel tanks of automotive vehicles.
11.	AIS 104 : 2008	Technical requirements of fuel tanks for agricultural tractors.

Note: The details of Automotive Industry Standards (AIS) are available on the website of Automotive Research Association of India (ARAI), Pune i.e. www.araiindia.com as well as the website of Ministry of Road Transport and Highways i.e. www.morth.nic.in

[F. No. RT-11028/9/2008-MVL]

SAROJ KUMAR DASH, Jt. Secy.